राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 77/2014/उदयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन–द्वितीय, बांसवाड़ा .....अपीलार्थी

बनाम

मै0 सहेली प्रोडक्ट्स,
उदयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री ईश्वरी लाल वर्मा–सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अधिवक्ता .....अपीलार्थी की ओर से

श्री राकेश मेहता,
अधिकृत अधिवक्ता .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 18/09/2015

निर्णय

अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा)के अपील संख्या 07/वेट/13–14/उदयपुर में पारित निर्णय दिनांक 17.10.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–द्वितीय बांसवाड़ा (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के आदेश को अपास्त किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन–प्रथम, बांसवाड़ा द्वारा दिनांक 18.03.2013 को वाहन संख्या जी.जे.9 वाई/9739 को नेशनल हाईवे नं.8 रतनपुर पर परिवहन के दौरान चैक किया। वाहन चालक/माल प्रभारी ने वाहन में लदे माल फर्नीचर से संबंधित दस्तावेज कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष बिल, बिल्टी एवं चालान पेश किये। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र वेट–47 नहीं था। अतः वेट अधिनियम की धारा 76(2) सपठित नियम 53 का उल्लंघन होने से धारा 76(6) में वाद दर्ज कर, पत्रावली निष्पादन हेतु सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन–द्वितीय बांसवाड़ा को प्रेषित की। उक्त अधिकारी ने वाद दर्ज कर, धारा 76(2) सपठित नियम 53 का उल्लंघन होने के कारण, प्रत्यर्थी व्यवहारी को वेट अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत कर व शास्ति आरोपण हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में फर्म के मैंनेजर श्री प्रशान्त शर्मा ने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर, जवाब प्रस्तुत किया कि परिवहनीत माल भारत के बाहर से आयात किया है अतः घोषणा पत्र वेट–47 की आवश्यकता नहीं थी। प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार कर, कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी फर्म के विरूद्ध माल कीमतन रू0

लगातार.....2

18-9-2015

4,52,20/–पर 30 प्रतिशत से शास्ति रू0 1,35,696/–व उक्त माल पर 14 प्रतिशत से कर रू0 63,325/– कुल रू0 1,99,021/–की मांग आरोपित की। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी–व्यवहारी फर्म ने प्रथम अपील विद्वान अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर, विद्वान अपीलीय अधिकारी ने आरोपित शास्ति को अपास्त कर, अपील कों आंशिक स्वीकार किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त निर्णय दिनांक 17.10.2013 से व्यथित होकर अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गयी है।

अपीलार्थी विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में कथन किया कि वक्त चैकिंग वाहन चालक/माल प्रभारी ने वाहन में लदे माल से संबंधित दस्तावेज कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश किये। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि घोषणा पत्र वेट–47 परवहनित माल के साथ संलग्न नहीं था। अतः प्रत्यर्थी व्यवहारी की करापवंचन की मंशा सिद्ध होती है। उन्होंने अपीलीय अधिकारी के निर्णय को अपास्त करने एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को बहाल करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी फर्म द्वारा भारत के बाहर से से फर्नीचर आयातित किया जा रहा था । वक्त जांच माल के साथ बिल,बिल्टी व चालान आदि दस्तावेज मौजूद थे लेकिन भूल से वेट–47 माल के दस्तावेजो के साथ संलग्न नहीं किया जा सका। उन्होंने आगे तर्क किया कि वेट अधिनियम की धारा 53 में संशोधन any place within India के स्थान पर any place out side the State हुआ है। उक्त संशोधन से कोई फर्म नही पड़ता है फिर भी उक्त माल पर वेट–47 की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि माल विदेश से आयातित हो रहा था जिसके समस्त दस्तावेज साथ में संलग्न थे। कर निर्धारण अधिकारी ने वक्त जॉच करापवंचन की मंशा मानते हुए इसे अस्वीकार कर दिया और प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी ने इस संबंध में जवाब भी पेश कर दिया। इसके बावजूद भी कर निर्धारण अधिकारी ने कर, शास्ति आरोपित करने में विधिक भूल की है जिसे अपीलीय अधिकारी ने आरोपित कर, शास्ति को अपास्त कर विधिसम्मत कार्य किया है। अपने तर्क के समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पूर्व पारित सहायक वाणिजिय कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन प्रथम अलवर बनाम मै0 जुपिटर स्टापिग्स, जयपुर निर्णय दिनांक 08.02.2012 को हवाला देते हुए अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

मैंने दोनों पक्षों की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। यह स्पष्ट है कि वक्त चैकिंग परिवहन के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी फर्म द्वारा भारत के बाहर से फर्नीचर आयातित किया जा रहा था। परिवहन के दौरान वक्त जांच माल के साथ बिल,बिल्टी व चालान मौजूद थे। वेट अधिनियम की धारा 53 में संशोधन any place within India के स्थान पर any place out side the State हुआ है। उक्त माल पर वेट–47 की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि माल विदेश से आयातित हो रहा था जिसके समस्त दस्तावेज साथ में संलग्न थे। कर

18-9-2015

लगातार.....3

निर्धारण अधिकारी ने वक्त जॉच करापवंचन की मंशा मानते हुए जवाब को अस्वीकार कर दिया। यह सही है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी ने जवाब भी पेश कर दिया। प्रत्यर्थी व्यवहारी की इसमें करापवंचन की मनोदशा नही थी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे सिद्ध भी नहीं किया हैं। इसके बावजूद भी कर निर्धारण अधिकारी ने कर, शास्ति आरोपित करने में विधिक भूल की है जिसे अपीलीय अधिकारी ने आरोपित कर, शास्ति को अपास्त कर विधिसम्मत कार्य किया है। अतः विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 17.10.2013 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

18-9-2015

(ईश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य